राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः- एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2019 जयपुर, दिनांक : 20 MAY 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के रोटेशन बाबत।
प्रसंगः- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19.08.2015 एवं 18.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के नियोजन, रोटेशन बाबत निर्देश जारी किये गये हैं। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि मेट का नियोजन रोटेशन के अनुसार नहीं किया जा रहा।

अतः योजनान्तर्गत मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर तैयार किये गये पैनल में से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावे। मेट पैनल में चिन्हित प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता तब तक किसी मेट को पुनः कार्यो पर नियोजित नहीं किया जावे। पुरूष मेट का नियोजन रोटेशन के द्वारा पखवाडा पूर्ण होने पर उपलब्ध पैनल अनुसार किया जावे। महिला मेटों के संबंध में उपलब्धता होने पर ही महिला मेट को परिवर्तित किया जावे अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को ही निरन्तर नियोजित रखा जावे। महिला मेट के स्थान पर पुरूष मेट को यथा संभव नियोजित नहीं किया जावे। मेट के नियोजन में महिला प्रार्थी को प्राथमिकता देते हुए नियोजित किया जावे तथा नियोजित महिला मेट को आगामी पखवाडे में पैनल में स्थित दूसरी महिला मेट से ही यथा संभव परिवर्तित किया जावे। कार्यों की निगरानी के लिए प्रासंगिक विभागीय पत्र दिनांक 18.03.2021 के अनुसार निम्न परिमाप के अनुसार मेट का नियोजन किये जाने के निर्देश हैंः-

कं. सं.	श्रमिक संख्या	मेट संख्या
1.	20 से 40	एक
2.	40 से अधिक	प्रति 20 से 40 पर एक अतिरिक्त

उक्त के संबंध में 20 से कम श्रमिक होने की स्थिति में मेट अलग से नियुक्त नहीं किया जावेगा। ऐसे कार्यो की निगरानी का कार्य कार्यकारी संस्था द्वारा ही किया जावेगा।

राजीविका के 134 ब्लॉक्स में उपलब्ध स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिला मेटों को ही कार्यो पर नियोजित किया जाये। राजीविका के इन ब्लॉक्स में योजनान्तर्गत कार्यो पर 65 प्रतिशत प्रशिक्षित महिला मेटों को नियोजित किया जावे। इन कार्यो पर लगाये जा रहे महिला मेटों के लिए पखवाड़े वार रोटेशन पर लगाये जाने की बाध्यता नहीं रखी जावे। यदि ग्राम में उपलब्ध महिला मेटों में से राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की केवल एक ही मेट उपलब्ध है, तो उसे निरंतर काम पर रखा जावे एवं हटाया नहीं

Scanned with CamScanner

जावे। यदि राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की दो मेट उपलब्ध है, तो उन्हें आपस में रोटेशन के आधार पर नियोजित किया जावे।

मेट पैनल में शामिल ऐसे मेट जिन्होनें NMMS का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा जिनके पास Android मोबाईल फोन से श्रमिकों की उपस्थिति लेने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हे मेट चयन मे प्राथमिकता प्रदान की जावे।

किसी भी कार्य पर मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर नहीं किये जाने एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस स्वंय ही जिम्मेदार होगें। कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner